

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 291]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 18 सितम्बर 2023—भाद्र 27, शक 1945

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2023

फा.क्र. 56-3-2023—निर्वा.नामा.—109.— भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :-

1. सं.—429—म. प्र.—2023 (1), दिनांक 14 सितम्बर, 2023
2. No. 429-MP-2023 (1), Dated 14th September, 2023

रुचिका चौहान, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2023-23 भाद्रपद, 1945 (शक)

अधिसूचना

सं. 429-म.प्र.-2023 (1).-लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 (ख) की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति से संबन्धित, समय-समय पर यथासंशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 429-म.प्र.-2023 (1), दिनांक 07 जुलाई 2023, में आगे संशोधन करता है, नामतः :-

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) की प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी :-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (2)
28-बामोरी	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), आरोन

आदेश से,
हस्ता./-
(अमित कुमार)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated 14th September, 2023-23 Bhadra, 1945 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 429-MP-2023(1).- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission, hereby makes further amendments in its Notification No. 429-MP-2023(1), dated 07th July 2023, as amended from time to time, relating to the appointment of Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, namely:-

In Column (2) of the Table appended to the said Notification, the existing entry against the name of Assembly Constituency mentioned below shall be substituted with the entry in the Column (2) of the Table appended below:-

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
28-Bamori	Sub Divisional Officer (Revenue), Aron

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.